कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 70 /1–13(13) देहरादून दिनांक, 15, फरवरी, 2018

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक **क–889/1–12(8) दिनांक** 08–11–2017 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 21–11–2017 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों पर निम्नलिखित **प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 44,900–1,42,400 वेतन मैट्रिक्स लेविल 7 के कार्मिकों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 47,600–1,51,100 लेवल–08 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत** पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख **कॉलम–4** में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री कल्याण सिंह सजवाण	प्र0व0, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	व0सं0, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त नैनीताल
2	श्री जमुना प्रसाद भट्ट	प्र0व0 टिहरी डैम व0प्र0(द्वि0) उत्तरकाशी	मु0व0सं0सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ देहरादून
3	श्री सुरेश चन्द्र जोशी	प्र0व0, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	प्र0व0, भूमि संरक्षण व0प्र0, नैनीताल

1. पदोन्नत अधिकारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 सं0 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 17–02–2017 के संलग्नक–1 के बिन्दु सं0 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 28–02–2018 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरोक्त तैनाती स्थल के लिए कार्यमुक्त कर देवें और यदि आवश्यकता पडे तो **"एक तरफा"** अवमुक्त किया जाये।

3. उक्त के बावजूद संबंधित कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. संबंधित अधिकारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन उत्तराखण्ड देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अर्थात 03–03–2018 तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।

5. जिन अधिकारियों को इस पदोन्नति के फलस्वरुप वर्तमान कार्यालय/स्थल में ही तैनाती दी जा रही है, उन कार्यालयों में पद रिक्त न होने या अन्यथा की दशा में उनका स्थानान्तरण/तैनाती यथाआवश्यकता स्थानान्तरण नीति अनुसार किये जाने बावत विचार किया जायेगा।

15/02/18
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं0 70 (1)/1-13(13) तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु0व0सं0, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

अवलोकित!

CCF (ITGC)

15/02/18
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।